तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 06/2019 ओमप्रकाश दांतीवाड़ा बनाम फरीद मोहम्मद व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.2019	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ओमप्रकाश दांतीवाड़ा स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी के अभिभाषक श्री अशोक चौधरी उपस्थित। प्रार्थी ने अपनी बहस मे कथन किया कि खसरा नं0 292 रकबा 11.19 बीघा वाके मौजा दांतीवाड़ा का है जो पर्चा खतौनी व खसरा खतौनी में डोली लापता इन्द्राज है जो विक्रम संवत् 2030 तक अपनी मूल स्थिति में कायम था। तत्पश्चात् बगैर आवंटन/नियमन तथा बगैर गैर खातेदारी/खातेदारी के उक्त खसरान् की भूमि को इसी ग्राम के पूर्व जागीरदार किशोरसिंह के नाम नामान्तरकरण इन्द्राज करवा दिया व व आगे से आगे अमलदरामदगी की कार्यवाही जारी रही जिससे मंदिर मूर्ति की बेशकीमती भूमि निजी खातेदारी में दर्ज हो गई। श्रीमान शासन सचिवालय देवस्थान जयपुर के पत्रांक प–12(22)देव/91/दिनांक 07.03.2003 एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर के पत्र क्रमांक/12(3) राज/आव/1698–1704 दिनांक 27.03.2003 एवं श्रीमान तहसीलदार के पत्र क्रमांक :भू/अ/298/315 दिनांक 24.01.2018 के आदेशो की पालना में पूरा खाता डोली बनाम लापतों के नाम दर्ज करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी के अभिभाषक श्री अशोक चौधरी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में उक्त विवादित भूमि पूर्व में राज्य सरकार के निर्देशानुसार डोली में दर्ज की जा चुकी है। इस कारण उक्त प्रकरण अब पोषणीय नहीं रह जाता ह। इस आधार पर उक्त प्रकरण पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2058–2061 के खसरा नं0 292 रकबा 11.19 बीघा पर यह नोट अंकित है कि ''श्रीमान् शासन सचिव देवस्थान विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प–12(22)देव/91/दिनांक 07.03.2003 एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के पत्र क्रमांक/प–12(3) राज/आव/1698–1704 दिनांक 27.03.2003 एवं तहसीलदार महोदय जोधपुर के आदेश क्रमांक/भू.अ./2018/315–359 दिनांक 24.1.18 की पालना में खसरा नं0 292 डोली बनाम मंदिर के नाम दर्ज''। **<u>आदेश</u>** अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है क्योंकि प्रार्थी द्वारा जिस अनुतोष के लिये प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था उसकी पालना पहले ही हो चुकी है। **(मदनलाल नेहरा)** **अपर जिला कलक्टर (प्रथम)** **जोधपुर।**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:14:50 IST
Reason: SelfAttested